

**Title:** Regarding pending Ayodhya case before Special Additional Sessions Judge.

17.02 hrs.

MR. SPEAKER: Now, we take up the next issue. Shri Mulayam Singh.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्मल) : अध्यक्ष महोदय

... (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कल बोल सकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम इस पर कल ही बोलेंगे। लेकिन हम यह कहना चाहते थे कि कल जब राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, उस पर मुझे बोलने के लिए आपने मेरा नाम बुलाया था। सर, हमारी भी कुछ भावनाएं हैं। हम सदन और देश के सामने अपनी भावनाएं रखना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी इस पर बोलने की इजाजत दें।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे देश के महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का मौका दिया। हम संक्षेप में दो ही बातें कहेंगे। वे दो बातें ऐसी हैं जिनके बारे में देश की जनता को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मस्जिद क्यों ढहाई गई

... (व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : वह मस्जिद कहाँ थी, वह ढाँचा था।

श्री मुलायम सिंह यादव : इन्हें समझाइये, मुझे सुन लीजिए

... (व्यवधान)

चूँकि परेशानी दूसरों को भी होगी। इन्हें समझाइये। अगर इन्हें बुद्धि होती तो मुझे टोकते ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बुनियादी गलतियाँ या गलत नीतियाँ हैं, जिनके कारण मस्जिद ढहाई गई और मस्जिद ढहाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, वे आज मंत्रिमंडल में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट है। उनके उत्तर से हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य सहमत नहीं हैं। अब प्रधान मंत्री जी आये हैं, वे जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हम दो बातें कहना चाहते हैं कि मस्जिद भारतीय जनता पार्टी और उनके कई संबंधित संगठनों ने गिराई, हमें इस संबंध में समस्त जानकारी है और हमने बाबरी मस्जिद को बचाया भी है और उसी का खामियाजा हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे साथियों, कार्यकर्ताओं से लेकर हमारे परिवारों को भुगतना पड़ा है और तमाम तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। इसलिए हम आपके सामने दो बातें रखना चाहते हैं कि अगर यह मस्जिद अचानक नहीं गिराई गई है और न ही यह घटना अचानक ही घटित हुई है। प्रधान मंत्री जी उस समय सत्ता में नहीं थे, उन्होंने कुछ शब्दों में स्वीकार किया था, जिन्हें हम दोहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मस्जिद जानबूझकर गिराई गई है और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं। जो चार्ज-शीट डाले गए हैं, वे तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन अगर और लोग भी जिम्मेदार हैं, अगर सी बी आई और अदालत की नजर में नहीं आया, तो देश की जनता की नजरों में तो आना चाहिए। देश को इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ा, देश में कितनी आगजनी, दंगे और फसाद हुए, चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम हो, उनको दुकानें जलाई गईं, हत्याएं की गईं, लूटपाट हुई, दंगे तथा आगजनी हुई उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? इसलिए मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि ४ दिसम्बर, १९९२ को समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के सभी सदस्यों ने तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति, श्री शंकरदयाल शर्मा जी से मिलकर उन्हें सावधान किया था।

अध्यक्ष महोदय, वह पत्र मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ जिससे कि सारे देशवासी मस्जिद गिराने वालों से अवगत हो जाए तथा वास्तविकता सामने आ जाय कि मस्जिद गिराने हेतु कौन दोषी है तथा कौन जिम्मेदार है। मैंने राष्ट्रपति महोदय को जो पत्र ४ दिसम्बर, १९९२ को लिखा, वह मैं पढ़कर सुनाता हूँ-

'महामहिम, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल ३ दिसंबर से दिल्ली में हो रही है। अयोध्या विवाद ने सारे देश की मानसिकता में तनाव पैदा किया है। समाजवादी पार्टी उस समय, उस तनाव के लिए यह मानती है कि इस विवाद से संपूर्ण वातावरण में एक जहरीली गर्माहट पैदा हुई है। आप राष्ट्रपति होने के नाते भारत राष्ट्र और संविधान के संरक्षक हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन तमाम परिस्थितियों के लिए केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश की भा.ज.पा. सरकार को समानरूप से दोषी मानती है। अगर केन्द्र सरकार ने शुरू से ही स्पष्ट नीति अपनाई होती, तो यह विस्फोटक स्थिति नहीं पैदा हुई होती। आज भी जिस आपाधापी के दौर से घटनाएं गुजर रही हैं उससे राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक का बहिष्कार करने की हिम्मत करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं निर्देशों के अपमान की भाषा का सामना करना पड़ रहा है। भा.ज.पा. की दूसरी राज्य सरकारों के मंत्री त्यागपत्र देकर कार-सेवा की घोषणा कर रहे हैं। लोक सभा में नेता विरोधी दल अपनी यात्रा में जगह-जगह, कार-सेवा की स्पष्ट घोषणा और न्यायपालिका के विरुद्ध गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार केवल भजन करने का हलफनामा अदालत में दे और दूसरी तरफ कार-सेवा की स्पष्ट घोषणा की जाए - इस सारे माहौल में केन्द्र सरकार को बेबस खामोशी केवल आश्चर्यजनक नहीं है, बल्कि निन्दनीय है।

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा, सर्वसम्मति से पूरी शक्ति प्रधान मंत्री को दी गई। सेना और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी उनका सदुपयोग न किए जाने से यह आशंका बलवती हो रही है कि जिस तरह से कांग्रेस शासन के दौरान १९४९ में मस्जिद में मूर्तियां रखी गईं, कांग्रेस शासन के दौरान ही ताला खोला गया और कांग्रेस शासन के दौरान ही शिलान्यास कराया गया तथा कांग्रेस शासन की खामोशी के चलते, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के बावजूद चबूतरे का निर्माण किया गया, उसी प्रकार केन्द्र सरकार की मौन सहमति से बाबरी मस्जिद को भी ढहा दिया जाएगा। केन्द्र सरकार की खामोशी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अयोध्या में भेजे गए अर्ध सैनिक बलों को उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी के माध्यम से बदनाम करने की घृणित साजिश के द्वारा अर्धसैनिक बलों का मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है और केन्द्र सरकार खामोश है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें और राष्ट्र के इस बिगड़ते वातावरण को ठीक करने के लिए केन्द्र सरकार की अनिर्णय की स्थिति समाप्त करने के लिए स्पष्ट निर्देश दे तथा समाजवादी पार्टी उसवर्धम समभाव के सिद्धान्त में विश्वास करती है। ... (व्यवधान)

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, is there any instruction to stop the display on Television? ... (Interruptions)

श्री रमेश चंन्निताला (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं, उसको कोई सुनने वाला और देखने वाला नहीं है क्योंकि टी.वी. बन्द है। क्या आपने ऐसे निर्देश दिए हैं?

... (व्यवधान)

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): Sir, let him start afresh from the beginning. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, they are telecasting it. Please take your seat.

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, फिर तो मुझे दुबारा पूरा पत्र पढ़ना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। टैलीकास्ट कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Mulayam Singh Yadav, they are already on.

श्री मुलायम सिंह यादव : अब टेलीकास्ट कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

मैं सदन में बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दोंधियों की जानकारी सदन में रख रहा हूँ और विश्वास है कि प्रेस और मीडिया के माध्यम से यह जानकारी जनता तक पहुंच जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आप चिन्ता मत कीजिये क्योंकि वे आपकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें और एक राष्ट्र के इस बिगड़े हुए वातावरण को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार की अनिर्णय की स्थिति समाप्त करने के लिए स्पष्ट निर्देश दें। समानवादी पार्टी 'उसबंधन सम्भाव' के सिद्धांत पर विश्वास करती है और अब भी अपने पूर्व निर्णय पर अडिग है कि अयोध्या विवाद का हल आपसी बातचीत या अदालती फैसले से किया जाना चाहिए। हम आपसे मांग करते हैं कि जो तत्व संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का मनाक करे, उन्हें राष्ट्रद्रोही मानकर तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश राज्य सरकार को दें। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और देश के संविधान की मान्यताओं के विपरीत आचरण कर रही है, उसे अविलंब बर्खास्त करें, यह मेरी मांग थी।

मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने सुझाव राष्ट्रीय एकता परिषद में दिया था। उस समय माननीय गृहमंत्री जी थे और आज जो प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, वे भी थे। उस समय हमने यह सुझाव दिया था कि अगर मस्जिद की हिफाजत करनी है तो केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उस समय जो जवाब दिया गया, उसका मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

... (व्यवधान)

अब टेलीकास्ट होने लगा।

... (व्यवधान)

उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहां गये। उन्होंने वहां चायपान किया और अपने दो कार्यकर्ताओं

के लिए अंगरक्षक लिये और करीब दो घंटे तक उनसे बातचीत की। बाहर निकलते ही पत्रकारों को बताया कि उसकी आज मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ वार्ता हुई है और अब मस्जिद को कोई खतरा नहीं है और कल्याण सिंह पूरी तरह स्थिति पर कानूनी पा लेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी इस समस्या का हल नहीं है।' (व्यवधान) हम नाम नहीं लेंगे।

... (व्यवधान)

अब यह बोलने नहीं दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

उसी पांच दिसम्बर को हमारा बयान है और पांच दिसम्बर को उनका बयान है। मस्जिद की सुरक्षा खतरे में, मस्जिद ढहा दी जायेगी, मुलायम सिंह यादव''। अब अच्छा लगेगा, तो ठीक है और बुरा लगेगा तो फिर हमको ऐसा कहेंगे।

... (व्यवधान)

आप दोनों बातें सुनिये।

... (व्यवधान)

कम से कम ये शांत तो बैठे हैं क्योंकि ये पश्चाताप करते हैं फिर वोट के लिए माफी मांगते हैं। यह भी बात है इसलिए सच्चाई होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : १९८४ में दो थे। आप लोग इनके साथ बैठे रहे तो इनको बड़ा दिया। नहीं तो यह बढ़ते ही नहीं।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने १९४९ से लेकर अभी तक, की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में आज भी मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण साम्प्रदायिक शक्तियों को ताकत मिली है और यह आज सत्ता में जो बैठे हैं, वे कांग्रेस की नीतियों के कारण बैठे हैं।

... (व्यवधान)

SHRI RAJESH PILOT : He should answer this. In 1989, there were two. They were all with them. They were together in 1989.

बुधवार का दिनर होता था और यह मिलकर चले हैं। कांग्रेस ने कभी भी उनके साथ हाथ नहीं मिलाया और न मिलायेगी।

... (व्यवधान)

ये मिलते रहे हैं।

... (व्यवधान)

हमने कभी भी इनसे हाथ नहीं मिलाया।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरे मित्र श्री राजेश पायलट जी की बात का हम बुरा नहीं मानते और न ही वह हमारी बात का बुरा मानते हैं। वे तो सही नेता हैं। उनकी राय हमसे मिलती जुलती है।

... (व्यवधान)

वह विचारणीय नेता है

... (व्यवधान)

वास्तव में नेता है। अगर वह गलत जगह बैठे न होते तो देश के नेता रहते। अब भी मैं उनको यह राय दे रहा हूँ। उनकी हमारी राय एक सी रही है चाहे किसान के बारे में हो या साम्प्रदायिकता के बारे में हो। उन्होंने संघर्ष किया है लेकिन इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि आप १९८० से कांग्रेस में आये हैं और हमने तो इसे बचपन से भुगता है। मैं १९५४ में जेल में था, १९५८ में जेल में था, १९६४ में जेल में था, कांग्रेस गलत नीतियों के कारण।

... (व्यवधान)

हम उन नीतियों को सुधारने में लगे रहे। वही कांग्रेस की गलत नीतियाँ आज देश की बर्बादी का कारण है। आज भाजपा को मौका मिला है, शक्ति मिली है जिसका भाजपा ने लाभ उठाया है।

इसलिए आज इसे साबित करना चाहते हैं कि जो स्थिति पैदा की है

... (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : आप हमारे पांव पर आकर पड़े शाष्टांग नमस्कार करके कि मुझे मुख्य मंत्री बनाइए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर यह सवाल उठाएंगे, मैं जिस नेता की इज्जत करता हूँ, आज वे दुनिया में नहीं हैं। जिन्होंने किया है, श्री गुलाम नबी आजाद, श्री एच के एल भगत और श्री नरसिंह राव इसके लिए गवाह हैं। यदि हाथ जोड़कर मेरे पैरों में कोई पड़ा है तो आपका नेता पड़ा है, मुलायम सिंह कभी नहीं पड़ा।

... (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : आज भी आपको यहाँ से समर्थन मिल रहा है।

... (व्यवधान)

साम्प्रदायिकता के एजेंट मुलायम सिंह जैसे लोग हैं।

... (व्यवधान)

आप विषय पर आइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा सुनने को तैयार हूँ। जिन्होंने पैर चाटने की बात कही, मैं अब भी उनका आदर करता हूँ, वे नेता इस दुनिया में नहीं हैं। आज यदि सच बोलें, श्री गुलाम नबी आजाद, नरसिंह राव और श्री एच.के.एल. भगत, तीनों जीवित हैं। यदि किसी ने मिन्नत की है तो ध्यान रखिए आपके नेताओं ने की है, मैंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी न तो कांग्रेस का समर्थन मांगा और न ही भाजपा का।

आप नौकरी करते रहे, पता सबको है।

... (व्यवधान)

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी में जरा भी नैतिकता हो, हम तो मानते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी, आप पर जरा सा भी हवाला का आरोप लगा था, उस समय मैंने कहा था, हमारे बहुत से साथी इन विचारों से सहमत नहीं थे लेकिन आडवाणी जी, मेरी राय थी कि हवाला में आपका नाम लेना सही नहीं था। उस समय देश में कोई कहने वाला नहीं था। समाजवादी पार्टी उसूल की बात करती है। इसलिए उस वक्त हिम्मत के साथ हमने यह बात कही थी। हम आपकी इज्जत करते हैं। जोशी साहब, उस समय आपने नैतिकता के नाते लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था हम आपकी भी इज्जत करते हैं। आपकी पार्टी कमजोर नहीं होगी। अगर आप नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दें तो बेहतर होगा।

... (व्यवधान)

हम यह जरूर कहना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

श्री राम नगोना मिश्र : देश के गृह मंत्री हैं। कोई साधारण बात नहीं है। यह खुशी की बात है। आपकी वजह से बात बढ़ी है। आपने गोली चलवाई थी और हमने उसका विरोध किया था।

... (व्यवधान)

इसमें कौन सी नैतिकता है।

... (व्यवधान)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Shri Mulayam Singh Yadav is referring to certain events right from 1954 to 1992, that is the date of event of demolition of Babri Masjid. This is not correct. This august House is concerned about what happened on 6.12.1992 and subsequent actions taken by the Government of India. ... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने कहा कि ये दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। मेरे भाषण पर कभी कांग्रेस नाराज, कभी भाजपा नाराज। मस्जिद हटाने के लिए ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष महोदय जनता के समक्ष सच्चाई जानने के लिए हमने ये तथ्य सदन के समक्ष रखे हैं। लिबरहाल कमीशन की बात कही गई है तो हमने बयान दिया है। उस बयान को देश के सामने उजागर करने की अब जरूरत आ गई है। हम इसमें बहुत कुछ जानते हैं लेकिन समय नहीं लेना चाहते। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस देश के वातावरण को खराब करने के लिए बी.जे.पी. और कांग्रेस पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को लेकर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए खुद मौजूद हैं। मैं आपको इस फेसले के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कांग्रेस के ऊपर जो प्रहार किया, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पहले दिन कहा, कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है कि जो लोग उनको गाली देते हैं, उनको लैटर हैड में भूतपूर्व मंत्री लिखने का मौका कांग्रेस की मोहर से ही होता है।

">... (व्यवधान)

">

">वर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे तो आपकी कृपा से नहीं बने थे, जनता की भावना से बने थे।

... (व्यवधान)

">

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : विषय सीमित है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने कभी समर्थन नहीं मांगा था। राष्ट्रपति जी को लिखकर दे आए थे कि बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, स्वीकार कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह विषय बहुत सीमित है। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है, इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है, मैं इस मुद्दे पर नहीं जानना चाहता हूँ। हर पार्टी को क्या पोजीशन है, अन्दर क्या हुआ था, बाहर क्या हुआ था, इसके विषय में हम उसको नहीं दोहराना चाहते हैं। अदालत के विषय में मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि सदन का कोई हक नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है, अदालत का क्या फैसला होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने का। मेरा विषय बहुत सीमित है।

जब मैं पहली बार १९७१ में यहां पहुंचा तो मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण, चाहे वे विरोध पक्ष में हों, चाहे सत्तारूढ़ पक्ष में हों, चाहे मैदान में हों, बहुत इज्जत के साथ, गौर के साथ सुनता था। इसलिए नहीं कि वे बी.जे.पी. में हैं या जनसंघ में हैं, इसलिए कि वे देश के एक बड़े नेता हैं, उनको सुनना चाहिए। आज वाजपेयी जी ने हर समय संसदीय परम्परा की प्रतिष्ठा की जो बात की, हर समय राजनैतिक नैतिकता की जो बात की, चाहे आम चुनाव सभा में हों, सदन के अन्दर हों, देश के लोकतंत्र में राजनैतिक नैतिकता के मसले पर प्रतिष्ठित जो कुछ उदाहरण हैं, उनको मदेनजर रखते हुए मैं इस विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ।

मैं ऐसे इश्यू पर बोलना चाहता हूँ, जिसके बारे में कल प्रश्न संख्या १०४ के आधार पर बनातवाला जी के सवाल के जवाब में आडवाणी जी ने कुछ बयान दिया और प्रश्न संख्या २०७ के आधार पर २९ नवम्बर को इस सदन में एक अलिखित प्रश्न के जवाब में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया। मैं अपना सारा विषय उस तक सीमित रखना चाहता हूँ और प्रधान मंत्री जी की दृष्टि उसी की तरह आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत गुस्सा, कोई अश्रद्धा न तो आडवाणी के ऊपर है, न मुरली मनोहर जोशी जी के ऊपर है और न बहन उमा जी के ऊपर है। ये लोग देश के सांसद हैं, देश के नेता हैं, देश के कारोबार में उनको भी भागीदारी है। मैं उनके बारे में कोई व्यक्तिगत लांछन लगाने की बात नहीं करने आया हूँ, मैं परम्परा की बात कर रहा हूँ, जिसको आदरणीय वाजपेयी जी ने इस देश को, नई पीढ़ी को सिखाया, चाहे वे विरोधी पार्टी में बैठे हों, चाहे सत्तारूढ़ पक्ष में बैठे हों। प्रश्न संख्या २०७ का यह जवाब मिला। सवाल क्या था -

The question was about the present status of the Babri Masjid demolition case. The answer was : "Investigation in the Babri Masjid demolition cases by C.B.I. was completed on 5.10.1993 and a chargesheet was filed in the court of Special Magistrate, Ayodhya Prakaran, Lucknow on 5.10.1993 against 40 accused persons. After further investigation a supplementary chargesheet was filed against nine more accused persons in the said court on 11.1.1996."

बहुत सुन्दर जवाब है। दूसरा सवाल क्या था -

The question was about the number of special courts set up in Lucknow for the trial of the accused. The answer was : "Special courts are constituted. One court of Special Magistrate; another special court of Ayodhya Prakaran at Lucknow for the trial of the cases."

The next question was about the names of the persons arrested or granted bail. The answer was : "List enclosed."

उन ९७ नेताओं के, कार्यकर्ताओं के नाम हैं, जिनमें आदरणीय गृह मंत्री जी का नाम है, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम है, बहन उमा जी का नाम है। इन लोगों के नाम हैं। उसके बाद क्या सवाल था?

The question was about the manner in which both the Central and State Governments are monitoring the cases.

उसमें क्या जवाब है? बहुत सीधा और स्पष्ट जवाब है, जिसके लिए मैं गृह मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने साफ-साफ कहा। क्या कहा -

The answer was : "Special Judge, Ayodhya Prakaran has passed an order on 9.9.1997 - when they were not Ministers - holding that there is a prima facie case to frame charges against all the 49 accused persons. Against this, 33 accused persons have filed revision petitions in the Lucknow Bench of the Hon. High Court of Allahabad in October, 1997 which are being heard regularly."

They are continuing from 1997.

The answer further says : "The revision petitions are pending for disposal in the High Court. In the Trial Court pending disposal of the revision petitioners, the proceedings are being adjourned. A Special Public Prosecutor appointed by the Government of India to conduct the trial of these cases is attending the trial court and the High Court regularly."

इसके आधार पर आपके माध्यम से मैं प्रधान मंत्री जी से सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। स्पेशल कोर्ट ने जब प्राइमफेसी चार्ज फ्रेम करने के लिए आर्डर पास कर दिया कि

there is a prima facie case to frame charges.

वाजपेयी जी, आपके बयान के मुताबिक, आपकी सारी संसदीय प्रतिष्ठा के मुताबिक, क्या राजनैतिक नैतिकता के आधार पर यह कर्तव्य नहीं बनता है कि जब तक ये लोग इससे मुक्त न हों, तब तक ये लोक सत्ता में बैठकर किसी पोस्ट को मॉनिटर न करें, क्योंकि सरकार प्रोसीक्यूटर एपॉइंट करती है। सत्ताधारी पक्ष का आदमी सरकार की सबसे बड़ी कुर्सी बैठा हो और खुद उसमें एक्यूज्ड हो, तो आपके

के मैनिफेस्टो के डिक्लरेशन के मुताबिक ट्रांसपैरेसी इन आल मेटर्स, क्या यह जस्टिफाइड होता है? मेरा सवाल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं एक आदरणीय सांसद का नाम लेना चाहता हूँ, जो इस समय सदन में मौजूद नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को मदनलाल खुराना जी संभाल रहे थे, उनके ऊपर चार्जज फ्रैम करने के लिए कोर्ट के सामने प्राइमफेसी इशू नहीं था, सिर्फ

CBI

ने चार्ज फ्रैम करने के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन उनको नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना पड़ा। पिछली लोक सभा में आपके मंत्रालय में मुथैया जी रेवेन्यू आफिस में मंत्री थे, बूटा सिंह जी मंत्री थे - क्या चार्जशीट के इशू पर इनको त्याग पत्र नहीं देना पड़ा था? अगर आपके हिसाब से इस और उस नैतिकता में बदलाव है, तो यह आपका फ़ैसला है, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन सदन को यह जानने का अधिकार है, ट्रांसपैरेसी के मामले में प्रोसीक्यूशन और मॉनिटरिंग के बारे में आपको कोई फ़ैसला करना चाहिए। हम लोगों की शिकायत क्या थी? जहाँ तक गृह मंत्री जी का सवाल है, गृह मंत्री जी खुद फंस हुए हैं, क्या उनकी तरफ से उनको जवाब देना उचित होगा? हम लोग समझते हैं कि उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी ओर से जवाब या टिप्पणी देने से कोई-न-कोई इन्फ़्लुयेंस हो सकता है। उनको इससे बचकर रहना चाहिए, चाहे आप उनको अन्दर रखिए या बाहर रखिए, यह आपका फ़ैसला है। इसमें हमारा दखल नहीं है। हम कुछ कह सकते हैं, आप सुन सकते हैं या उसको ठुकरा सकते हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दो नियम नहीं हो सकते हैं - एक लागू होता है खुराना जी के लिए, एक बूटा सिंह जी के लिए, एक मुथैया जी के लिए और एक लागू होगा आडवाणी जी के लिए। अगर दो किस्म का नियम लागू होता है, तो यह आपको प्रतिष्ठा का सवाल है और कोई बात नहीं है।

इसलिए मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, यह सवाल कोई ऐसा नहीं है कि ६ दिसम्बर के दिन याद आता है। बात यह है कि सवाल ६ दिसम्बर का नहीं है। इतिहास से ६ दिसम्बर को माननीय सदस्य बनातवाला जी का स्टार्ड क्वेश्चन आ गया और इसी मुद्दे पर मेरा अनस्टार्ड क्वेश्चन आ गया। उसके आधार पर सदन में मांग उठी कि गृह मंत्री जी इस सारे मुद्दे पर न बोलें, क्योंकि वे एक्यूज्ड हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जहाँ तक एक्यूज्ड का मामला है,

These accused are column one accused and not column two accused.

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उनके शुरू के संसदीय जीवन से उनकी राजनीतिक परम्परा, नैतिकता और संसदीय प्रतिष्ठा के बारे में जो बयान है, उसके आधार पर हम समझते हैं कि उनके द्वारा जवाब या मंत्रिमंडल में रहकर इस केंस की निगरानी न की जाए।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या

CBI

को आपने आदेश दिया है कि स्टै-वैकेट के लिए कौशिश करें? अक्टूबर, १९९७ में हो सकता है, देवेगौडा जी प्रधान मंत्री थे और उनके जाने के बाद आपको सरकार मिली थी, क्या सरकार की तरफ से कभी प्रयास हुआ कि इसको वैकेट किया जाए या तुरन्त ट्रायल में जायें? इसकी वजह से जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है, कहीं कोई मिली-भगत तो नहीं हो रही है कि सारे केंस को खत्म कर दिया जाए। हमने जो मुद्दा उठाया है, वह व्यक्तिगत रूप से आडवाणी जी, व्यक्तिगत रूप से मुरली मनोहर जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब इतना बड़ा चार्ज स्टैबलिश हुआ है, तो जब तक निष्पत्ति न हो, तब तक इनका पदों पर रहना ठीक नहीं होगा। वाजपेयी जी, अब तक का जो आपका शुरू से बयान है, विरोध पक्ष में या सत्ता पक्ष में, यह प्रश्न उस प्रतिष्ठा के अन्दर आता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, I thought we were here concerned with a very fundamental issue. Of course, we cannot, sitting here, decide about the merits of the pending matters. But so far as our political and factual assessment in the past is concerned, we stick to that, the Sangh Parivar is up to the neck in demolishing the Mosque. They may call it a dhancha, but why should all dhanchas be destroyed, in this country?

">Sir, there have been people on that side, very highly placed functionaries of the Sangh Parivar, who have claimed credit for the demolition of the Babri Mosque. There are Parties who are represented here whose leaders have been openly saying that they have done, as it were, a great patriotic duty in demolishing that Mosque. Therefore, according to our assessment -- we have said it earlier, I need not elaborate -- the Sangh Parivar, including many of our Members sitting on that side and also people here by their callous negligence, if not, what should I say, maybe, passive collaboration have done this.

">Sir, I remember, I was in Delhi on that day. I had rung up Shri Narasimha Rao, the then Prime Minister of India and also Shri S.B. Chavan, the then Home Minister and they all assured that all possible steps are being taken to prevent that. But then we saw what had happened. So, we cannot exonerate my friends sitting on the right side here today. I hope, they have realised the great folly and mistake, if it is a mistake, if not a complicity that they had committed.

">Sir, but the issue today is a fundamental issue that factually there are cases pending. Mr. Prime Minister man wish it or not, they are pending. First of all investigation was completed as early as in 1993. That was within one year of that heinous act, what we call it as a black act, being committed. Investigation was completed on the 14th of October, 1993. It has been six years since then. Yesterday we heard in the Conference of the Chief Justices that they were for early disposal of the pending cases. The Chief Justice of India has issued a direction that every pending criminal case should be decided within one year. But even after six years after investigations had been completed and chargesheets filed, it has not been disposed of. It took four years for the special Judge to take up the matter and he has now found that there is a prima facie case in it. Against that, 33 out of the 49 people -- I do not know who these 16 persons are -- have gone on revision before the Lucknow Bench in October, 1997. Today we are in December, 1999. It has been said that the case is being regularly heard for over two years but no decision has been given. This is one of the classic examples of delay in criminal proceedings in our country.

">Sir, the question that arise is, is the delay because of the highest functionaries that are involved in this case? Today we have got a very unseemly situation where the hon. Home Minister is dealing with the Ministry which is concerned with this litigation. Therefore, it is a case of almost a prosecutor and an accused ... (Interruptions)What is factually wrong in it?

">Sir, there is one more very well-known saying -- I am sure, Shri Jethmalani will agree with me because he believes in transparency; he believes in certain morales. I accept his statement. He is a very respected member of the Bar -- that justice must not only be done but seen to be done. I am sure, he will not quarrel with this proposition.

">THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI): Not at all.

">SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Thank you. That was expected of you although you are in that company. Therefore, the question is very fundamental. An accused person against whom a prima facie case has been found is occupying a very high office in this country and is sitting next to the Prime Minister of India in this House. Yesterday a point was taken that was he competent to answer questions about his own matter? This is a very fundamental issue. When

">Shri Laloo Prasad Yadav -- against whom charges were filed -- was accused, all sections of the House demanded -- I also joined in that demand on behalf of my Party -- that he should forthwith resign from Chief Ministership.

">Some examples have been given in this very House. Shri Lal Krishna Advani was applauded by the country when he decided, during the havela prosecution, that he will not seek public office or even contest election. Suddenly, after his party has come to power in the process, whatever that process is, he takes up a different attitude altogether! Not only that, he is bold enough to say, 'I shall continue'. Well, by his action it seems he wants to say that he must continue in his position. I do not know if the Prime Minister is either helpless or is trying to do a good thing to his old colleague in his party.

">What would be the position of an ordinary individual in this country in a similar situation? Will he be allowed to deal with a matter in which he himself is one of the accused? Can he have anything to do with the prosecution of such a case? This is the fundamental issue. Therefore, Mr. Speaker, Sir, I said in the meeting of leaders that you held, 'Let the Prime Minister, as the head of the Government, come and tell us as to what the perception of this Government is on this impropriety; as to whether this type of mixing up of roles at the highest level is possible; as to why this case has taken six years' time after the charge-sheet was filed; and as to what is happening now? I do not know what is the role of the Government of India.

">As I said at the beginning, I am not here to apportion blame. I am not here to hold anybody guilty of any crime. In fact I am not enjoying it per se that three of our distinguished colleagues on that side are accused in a case. I am not holding them guilty, nor can I do that. I would like to know what their conscience says. What does the conscience of the Prime Minister say in this matter?

">Shri Dasmunsi spoke about the qualities of the Prime Minister. I am not questioning that. I was present in the House when Shri Vajpayee, a greatly fluttered person, came to the House on that day. I was present in the House on the 6th of December, 1992, and he entered the House almost as a broken person and said that he was sorry and that he regretted it. When he said that, it was appreciated by the country and by the House. Of course, in his own inimitable style he had retracted from that position later because of political compulsion. But at least for a while he felt that that was something very wrong. Today he is presiding over the affairs of this country. This is a serious case which is pending, which has tremendously tarnished the image of this country whether one admits or not. Today, after seven years, we are still groping in the dark. Today, by fortuitous events, the Home Minister, who is one of the prime accused, is deciding the fate of his own case.

">Sir, propriety demands that the Prime Minister takes the obvious step. As Shri Mulayam Singh demanded, the hon. Ministers in question may respond adequately in this regard to this House. They once forced some of their colleagues like Shri Buta Singh and Shri Muthiah to give up their ministerships. Shri Khurana is not here. Maybe he has left to avoid the embarrassment this situation may cause to him. Once this House was not allowed to run for 12 days because there were serious allegations against Shri Sukh Ram. Now, because Shri Sukh Ram is sitting in their lap they treat him differently.

">Different standards should not apply to different people in matters of public life. It is a question of propriety; a question of Constitution being held supreme; a question of strengthening people's faith in the democratic system. Because of a temporary majority they cannot ignore when propriety and credibility of the system is challenged. When it is done, it will be very sad day for the country. Therefore, I request that they rise to the occasion and do what is only proper thing to do.

">

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : स्पीकर साहब, मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस इश्यु पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरी पार्टी जितनी हिन्दू कम्यूनलिज्म के खिलाफ है, उतनी मुस्लिम कम्यूनलिज्म के खिलाफ है। मेरी यह पुख्ता राय है कि मुस्लिम फिरकापरस्ती और हिन्दू फिरकापरस्ती दोनों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। हिन्दुस्तान एक सैकुलर मुल्क है। यहाँ किसी एक फिरकापरस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो दूसरी फिरकापरस्ती खुद-ब-खुद मजबूत होती चली जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में सिर्फ इसलिए मजबूत है कि चन्द लोगों ने इस मुल्क में मुस्लिम फिरकापरस्ती को हवा दी। यहाँ आज बाबरी मस्जिद का निरुद्ध हो रहा है। उस पर तमाम लोग इन्हारे अफसोस कर रहे हैं। मेरा कहना है कि बाबरी मस्जिद की शहादत से हिन्दुस्तान के मुसलमानों के दिलों पर जो जखम लगा है, वह मरहम न संसद कहीं से ला सकती है और न कोई दूसरा ला सकता है। पूरी दुनिया में इस आजाद सैकुलर मुल्क की बदनामी हुई। कहा गया कि मस्जिद को तोड़ कर मन्दिर बनाने का काम किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

">

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : जब कश्मीर में मन्दिर तोड़े जाते हैं तो क्या हिन्दुओं की भावनाएं आहत नहीं होती हैं?

... (व्यवधान)

इस बात को बार-बार उठाने का क्या मतलब है?

... (व्यवधान)

यह गलत बात है।

श्री राशिद अल्वी : १९४८ में पहली बार बाबरी मस्जिद में ताला लगा। साढ़े चार सौ साल लगातार बाबर के जमाने से लेकर १९४८ तक उस बाबरी मस्जिद के दरों-दीवारों में अल्ला-हो-अकबर की आवाज गुंजती रही। एक दिन ऐसा नहीं गुंजरा है

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : यह असत्य है। बाबर एक आक्रान्ता था।

... (व्यवधान)

बाबर को यहाँ सदन में महिमामंडित न किया जाए। उसने मन्दिर तोड़ कर एक ढाँचा खड़ा किया था। ६ दिसम्बर १९९२ को गुलामी के उस कलंक को ढहाया गया था।

... (व्यवधान)

जो मुद्दा अपने आप दफन हो चुका था, उसको पुनः उठाने का प्रयास हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस देश में पुनः दंगा फसाद करने की साजिशें हो रही हैं। ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: No. Nothing will go on record.

(Interruptions) \*

श्री राशिद अल्वी : वहाँ साढ़े चार सौ साल लगातार इबादत होती रही। मेरा दिल रोने लगता है जब खुदा के अन्दर भी डिसक्रिमिनेशन किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ

---

\*Not Recorded.

खुदा मानने वालों की जगह नहीं होगी, यहाँ पर दूसरे खुदा की इबादत होगी। खुदा पूरी दुनिया का एक है चाहे वह मस्जिद में हो या मन्दिर में हो।

... (व्यवधान)

१९४८ में जो ताला लगा था उसे १९८६ में वीर बहादुर सिंह जी की सरकार ने खोला। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी। तब वहाँ शिलान्यास कराया गया। उसके बाद १९९२ में उस मस्जिद को तोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

दूरदर्शन और आल इंडिया रीडियो लगातार उसको डिस्प्यूटेड ढाँचा कहते रहे हैं। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने का नाजायज फायदा उठा रही है। उन्हें ताकौद की जाये कि बाबरी मस्जिद का लफ्फ इस्तोमाल किया जाये। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी यह आर्डर है कि 'स्टेटस को' रहना चाहिये। कायदे से उस जगह पर मस्जिद दोबारा बनायी जानी चाहिये तभी स्टेटस को हो सकता है।

स्पीकर साहब, आखिर में यह बात कहूँगा कि तीन मिनिस्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेज़ पौडिंग हैं, यह कैसे मुमकिन है कि जिस आदमी के खिलाफ क्रिमिनल केसेज़ पौडिंग हैं, वह हिन्दोस्तां का होम मिनिस्टर हो। 'अकरबा मरे करे दावा, कत्ल का दाग किस पर वही कातिल, वही शाहिद, वही मुसिफ ठहरे,' कहां से इन्साफ मिलेगा, कौन इन्साफ देगा? इसी प्रकार कृष्ण जन्म भूमि का चक्कर था लेकिन उस समय हमारी नेता कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी जब एक परिंदे ने पर नहीं मारा। हमारी सरकार को बी.जे.पी. सपोर्ट कर रही थी फिर भी वह मस्जिद मौजूद है। मैं अपनी बात उस उम्मीद के साथ खत्म करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की हैसियत नहीं कि वे होम मिनिस्टर को हटा सकें क्योंकि बी.जे.पी. के अंदर डिस्प्यूट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि हाउस उठने से पहले-पहले श्री आडवाणी जी इस्तीफा दे देंगे।

SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): Mr. Speaker, Sir, I did not anticipate that there would be a full-dress debate on this question, as it now appears. We were preparing ourselves for the Government's response to a very limited or restricted point, the question whether people who have been charge-sheeted for participating in the demolition of Babri Masjid are entitled or not entitled to continue as Ministers in this House, which has been agitating the House for the last two days.

">You must have seen in the Press that this anniversary of the event has stirred up strong reactions and emotions not only in this House, in this country but in other countries also. There are reports of demonstrations and of people recalling what happened on that fateful day. It is not a matter which can be just left like that. This event took place on the 6th of December. Next day, on the 7th of December, everybody was very much agitated. We came to the House as usual. Unfortunately, I do not have the copies of the proceedings with me now, but I am sure it will not be contradicted. At that time Shri Vajpayee was not the Prime Minister because there was no BJP Government over which he could be the Prime Minister. He was an ordinary Member of the House, a Leader of his Party and was sitting quite close to us on this side. Shri Vajpayee was very much worked up, indignant, angry and agitated on that day. I remember him saying here in the House, 'We do not know as to who has committed this deed. It has not been done on anybody's instructions. We have not ordered or asked anybody to behave like this.'"

">We do not know who these people are. We do not know why they have behaved like this. But, this is something which is very condemnable and disgraceful and whoever has done it should be brought to book. These were the words he used. They must be brought to book and they must be punished. These words were uttered by him, not by anyone of us. You can consult the record and see for

">yourself. I remember it very clearly and distinctly here in this House. That is what he had said.

">After the passing of so many years, in the mean time, Shri Vajpayee is now the Prime Minister of this country. His party is in power. But, after all this, now we find that instead of the perpetrators of this crime being brought to book, they are here now sitting in the seats of power. Shri Vajpayee is keeping quiet about it. He has not recalled what he himself said, how he reacted in this House on the 7th of December. He has not said a word. The country is therefore not at all enlightened as to what is the stand of the Government and the Prime Minister on this question.

">All we had wanted here today was that this position must be clarified. As far as the technical or the legal side of it is concerned, I think the matter has been made quite clear from the records and what has been stated here on the basis of the court's findings. Now what remains is only one point; not which party did what. There is only one point to be decided. The people who have been named and against whom charge-sheets have been framed, whether they are going to be permitted to remain as ministers in the seats of power or they have to be removed from those seats of power. There is no other question now. Unless this matter is settled on the basis of justice and equity, I am afraid, the proceedings of this House will be disrupted.

">I want to say one thing more. Continually they were saying at that

">time and even now they are saying -

">श्रीक यह तो एक ढांचा था। यह तो मस्जिद ही नहीं थी। यह तो मस्जिद का जैसा एक ढांचा था। मैंने उस समय भी पूछा था कि अगर यह मस्जिद न हो, इसके अंदर आप कहते थे कि उस समय वहां कोई नमाज़ नहीं होती थी, ... (व्यवधान)

">

">श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : मान्यवर, उसमें भगवान की मूर्ति थी, पूजा हो रही थी और आप उसको मस्जिद कहते हैं? वहां भगवान की मूर्ति थी।

... (व्यवधान)

">

">श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसीलिए मैंने सवाल किया और अभी भी पूछ रहा हूँ। अगर यह केवल ढांचा ही था तो उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? क्यों तोड़ा उसको? ... (व्यवधान)

">

">श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : लेकिन उसको मस्जिद तो मत कहिए जिसमें राम की मूर्ति की पूजा होती हो।

... (व्यवधान)

">

">श्री इन्द्रजीत गुप्त : ढांचा ही था तो उसको तोड़ा क्यों?

... (व्यवधान)

">

">Why did you demolish something which according to you was not a Masjid at all?

">अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी, आप बैठ जाइए।

">

">श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : जहां पूजा होती हो, जहां घंट-घड़ियाल बनता हो, जिसमें लोग पूजा करते हो उसको मस्जिद कहेंगे?

... (व्यवधान)

">

">श्री बसुदेव आचार्य (बांकरा) : तो फिर मंदिर को क्यों तोड़ा? अगर मूर्ति थी, राम की मूर्ति थी तो क्यों तोड़ा?

... (व्यवधान)

">

">श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : आप उसको मस्जिद नहीं कह सकते।

... (व्यवधान)

">

">श्री इन्द्रजीत गुप्त : मस्जिद का ढांचा था तो क्यों तोड़ा?

... (व्यवधान)

">

">Sir, there is no way out like this.

">श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : बाबर ने जब तोड़ा था, उसकी भी आप आलोचना करिये। आप बाबर की आलोचना तो करते नहीं हैं।

... (व्यवधान)

">

">अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी आप बैठ जाइए।

">

">... (Interruptions)



">SHRI INDRAJIT GUPTA : Are we now going to discuss about Babar and what happened hundreds of years ago? If somebody had demolished a temple which is established, then certainly it has to be inquired into....(Interruptions)....Anyway, now the matter is that people are not concerned with what happened hundreds and thousands of years ago. Here is something going on. There is a modern State; a secular State is functioning here and an elected Parliament is in Session. This matter is under discussion and therefore, I stand by what the hon. Prime Minister said who, at that time, was not the Prime Minister. On the 7th December, he was not the Prime Minister. But he said something here which was completely true and correct. He showed his anger and indignation and said that people who have done this will have to be brought to book, hauled up and punished. He said it. It can be confirmed from the records. Therefore, I only want him to remain true and loyal to what he had said at that time. Even though much delay has taken place, justice has to be done and the secular credentials of this country have got to be defended and upheld.

">श्री प्रमूनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय से बोलने के लिए हाथ उठा रहा हूँ, कृपया मुझे भी बोलने की इजाजत दीजिए।

">

">

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री पी.आर. दासमूंशी जी, चटर्जी साहब और श्री इंद्रजीत गुप्त जी ने इन सवालों को यहां उठाया है, मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि आज अचानक इस सवाल को उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले बीस महीनों से जब से यह सरकार सत्ता में आई है, कोई नई घटना हुई हो, कोई नया सवाल पैदा हुआ होता तो यह सवाल उठाने की बात हो सकती थी। अभी श्री पी.आर.दासमूंशी जी, गुप्त जी और चटर्जी साहब ने ९.९.१९९७ को स्पेशल मजिस्ट्रेट ने अयोध्या के मामले में जो आर्डर दिया है, उसका जिक्र किया कि ९.९.१९९७ को उसने यह आर्डर किया था। ९.९.१९९७ के बाद आज करीबन सवा दो साल बीत रहे हैं और इस सरकार को बने हुए लगभग २० महीने हो गये हैं। आडवाणी जी आज पहली बार मंत्री नहीं बने हैं, श्री मुरली मनोहर जोशी जी आज पहली बार मंत्री नहीं बने हैं, उमा भारती जी आज से २० महीने पहले मंत्री बनी थीं। किसी ने यह सवाल उस समय क्यों नहीं उठाया? किसी ने इस सवाल को नहीं उठाया

">... (व्यवधान)

">

">SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI (KHAJURAHO): We are raising objection to this. To say that we did not utter a word is not correct.

">डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : श्री आडवाणी जी, जोशी जी और उमा भारती जी इस सवाल को इस हाउस में

... (व्यवधान)

">

">श्री बसुदेव आचार्य (बांक्रा) : आप उस समय राज्य सभा में थे, तब यह सवाल उठाया गया था।

">

">डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : ९.९.१९९७ के बाद यहां सवाल पूछे जाते रहे, आपमें से हरके ने सवाल पूछा और आडवाणी जी ने जवाब दिया। उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप सवाल पूछते रहे, क्या उस समय आप सोते रहे। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आडवाणी जी, जोशी जी और उमा भारती जी आपकी मेहरबानी से यहां नहीं बैठे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये दो नम्बर पर बैठे हुए हैं, इन्हें इस देश की जनता ने चुनकर भेजा है और यहां क्या स्थिति पैदा हुई है।

">

">अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि नई बात क्या हुई है? नई बात यह हुई है कि २० महीने में हिंदुस्तान में एक भी हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, देश के अंदर शांति है

... (व्यवधान)

और जो हिंदू-मुस्लिम दंगों पर राज करते रहे, जो हिंदू-मुस्लिम दंगों पर जिंदा रहे

... (व्यवधान)

">

">श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जो दंगे कराते थे वे आज सत्ता में हैं।

">

">डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्हें यह बात आज चुभ रही है, उन्हें यह लग रहा है कि यहां पर हिंदू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता क्यों न पैदा हो जाए, इसलिए यह बार-बार इस बात को यहां कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक और बात भी हुई है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस पहली बार १९२ पर सिमट गई है।

">

">18.00 hrs.

">अध्यक्ष महोदय, सबसे कम सीटें इस बार कांग्रेस को लोक सभा में प्राप्त हुई हैं। इसलिए इस निराशा, हताशा और लड़खड़ाहट में उन्होंने इन सवालों को खड़ा करना शुरू किया है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ जैसा अभी चटर्जी साहब और प्रिय रंजन दासमूंशी जी ने कहा कि यह १९९२ की घटना है, हाइकोर्ट में १९९३ में मुकदमा दायर किया गया था, उसमें इतनी देर क्यों हो रही है, फौसला क्यों नहीं हुआ? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहां पर हम नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी बल्कि पांच साल आपकी सरकार रही। नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे। उसके बाद गौड़ा जी प्रधान मंत्री बने, उसके बाद गुजराल जी प्रधान मंत्री बने और आप उनकी सरकार का समर्थन कर रहे थे। क्यों नहीं आपने उस समय इन सवालों को हल कराया? आप कहते हैं कि ५० साल से मुकदमा चल रहा है और ५० साल में मुकदमे का निर्णय नहीं हुआ - तो यह जिम्मेदारी किसकी थी? क्या यह जिम्मेदारी हमारी थी? यह जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। आपने यह बिल्कुल गलत और निरर्थक बात कही है।

आपने यह भी कहा है कि इस मुकदमे का फैसला कराने के लिए दखल क्यों नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सी.बी.आई. पर उस समय नरसिंह राव जी ने दबाव डाल कर एक बिलकुल असत्य मुकदमा दायर कराया। जब यह बिलकुल गलत और असत्य मुकदमा दायर किया गया था, तो क्या हम उनके इस जाल में फँस जाते और उस पर कार्रवाई करते?

">

">अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने २० महीने में इस केस को विद्वानों के लिए सी.बी.आई. पर कोई दबाव नहीं डाला है। जो प्रॉसीक्यूटर १९९३ में अपाईट किया गया, वह आज भी काम कर रहा है। हमने तो प्रॉसीक्यूटर भी नहीं बदला। हमने सी.बी.आई. पर इस केस को डायलट करने हेतु कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन आपके समय में जबर्दस्ती केस को गलत तरीके से बनवाया गया।

">

">मुलायम सिंह जी ने निरूपण किया कि वहाँ यह सब किस प्रकार से आया है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब श्री राम लाला प्रकट हुए, उस समय हिन्दुस्तान में कौन प्रधान मंत्री था - जवाहर लाल नेहरू उस समय भारत के प्रधान मंत्री थे और उत्तर प्रदेश में श्री गोविन्द वल्लभ पन्त मुख्य मंत्री थे। उस समय वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई। जब वहाँ रोजाना पूजा-अर्चना शुरू हो गई, जब वहाँ मंदिर बन गया, तब वहाँ वाजपेयी जी प्रधान मंत्री नहीं थे। यहाँ केन्द्र में पं. जवाहर लाल नेहरू और प्रदेश में पं. गोविन्द वल्लभ पन्त मुख्य मंत्री थे। जब कांग्रेस का देश में राज्य था तब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया था कि २०० मीटर क्षेत्र में कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा। जब वहाँ रोजाना पूजा अर्चना हो रही थी और २०० मीटर एरिया में कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता था, तो वह मस्जिद कैसे हो गई। जब ताला खोला गया, तब कांग्रेस की सरकार थी और जब शिलान्यास किया गया, तो प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी थे और उन्होंने अपने चुनाव का अभियान शिलान्यास करने के बाद शुरू किया।

">... (व्यवधान)

">

">MR. SPEAKER: Nothing should go on record except Dr. Vijay Kumar Malhotra's speech.

">(Interruptions)\*

">डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, उस समय गृह मंत्री बृटा सिंह जी थे। मैं अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जिस जगह ५० साल से पूजा-अर्चना हो रही है और जिसके आसपास २०० मीटर क्षेत्र में कोई मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ सकता, तो क्या उसे मस्जिद कहेंगे।

... (व्यवधान)

">

">अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज देश में इस साम्प्रदायिक शान्ति को भंग न किया जाए।

">

">अध्यक्ष महोदय, दोनों में फर्क है।

... (व्यवधान)

आर्थिक मामले और भ्रष्टाचार के मामले में बहुत फर्क है।

... (व्यवधान)

राजनीतिक मामलों में बहुत फर्क है।">

">MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, please take your seat.

">डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के मामलों में और पोलिटिकल मामलों में बहुत फर्क है। मेरे ऊपर पचासों केस पोलिटिकल हैं। धारा १४४ का मामला बनता है, क्रिमिनल मामला बनता है। कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिस पर धारा १४४ का मामला न बनता हो। जिस पर सरकारी प्रापर्टी तोड़ने का मामला न बनता हो। सब मंत्री रहे हैं। भ्रष्टाचार और पोलिटिकल मामलों को आप मत मिलाइये। यह

">

">

">\*Not Recorded.

">झूठा प्रचार किया गया, झूठा केस बनाया गया और झूठा केस बनाकर हम उसमें फँसकर यह करेंगे, ठीक नहीं है।

">

">अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा कि आडवाणी जी खुद ही अपना केस कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

">

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except Dr. Vijay Kumar Malhotra's submission.

(Interruptions) \*

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. होम मिनिस्टर के अन्तर्गत नहीं है। वह प्राइम मिनिस्टर के अन्तर्गत आती है और इसलिए यह बात कहना कि वह स्वयं ही अपने केस को देख रहे हैं, ठीक नहीं है।

MR. SPEAKER: Dr. Vijay Kumar Malhotra, the hon. Prime Minister is going to make a statement. Please conclude.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सारा ध्यान डायवर्ट करने की कोशिश क्यों की है? जब से श्री राजीव गांधी जी का नाम बोफोर्स केस में आया, जब से क्वात्रोची का नाम आया ... (व्यवधान) जब से कांग्रेस पार्टी के मैम्बर पार्लियामेंट के लड़के ने श्रीमती सोनिया गांधी के पी.ए. पर तीन करोड़ का चार्ज लगाया गया कि उसने फेरा के अंतर्गत तीन करोड़ का माल बाहर से मंगाया।

... (व्यवधान)

तब इनको लगा कि यहाँ पर इन सब सवालों को उठाया जायेगा इसलिए इन्होंने देश की जनता का ध्यान उन सवालों से हटाकर इन सवालों पर लगाने के लिए अचानक इन्होंने यह हंगामा शुरू कर दिया। ... (व्यवधान)

मैं अपील करना चाहता हूँ

... (व्यवधान)

Your party MP's son has said so. Your party MP's son has given an affidavit.

आपके एम.पी. के लड़के ने एफीडेविट दिया। मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर अपने चंद वोटों की खातिर

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: He is not yielding. Please take your seat.

\*Not Recorded.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : इस देश के अंदर साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश न करें। देश की साम्प्रदायिक शांति को भंग न करें और देश के अमन को बने रहने दे। देश की साम्प्रदायिक शांति को बर्बाद न करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, इन छोटी अफवाहों के आधार पर यह कुछ भावना रखना चाहते हैं, यह बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसका पूरी तरह से खण्डन हुआ है। जो झूठी बात आज पेपर में आई है, उसका जार्ज साहब की तरफ से पूरा खण्डन किया गया है। अगर आप इस मामले में कुछ भी जांच करना चाहें तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। हम उसका पूरी तरह से स्वागत करेंगे।

... (व्यवधान)

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Speaker, Sir, this is a very limited matter. Under the Rules of Procedure we cannot discuss this matter elaborately, because it is pending in the court. The matter is sub judice. But, we, our party, have organised rallies against the demolition of Babri Masjid, at that time. We had blamed Shri Kalyan Singh's Government and also Shri P.V. Narasimha Rao's Government for the demolition. This is an old case in which the C.B.I. has already filed two charge-sheets and the then Government, headed by Shri P.V. Narasimha Rao, had appointed public prosecutors to speed up this case. Now, we are in the year 1999. At the time of filing the charge-sheets, the special court had said that prima facie there is a case. Now, the Opposition parties are blaming the Government. Why have they not taken any stand in the House earlier?

">Shri Advani was there twice as the Minister of Home Affairs. We have discussed this issue several times on the floor of this House. My party categorically stated about the Bofors case that the law would take its own course. Even the prosecutors were appointed by the then Government. The present Government has been continuing with that. If the Minister of Home Affairs and some other Ministers were particular, they would have withdrawn the case. But the law will take its own course. The Special Court will give a judgment. Then, we will discuss it. That is my party's stand.

">My request through you is that the hon. Prime Minister should give instructions to speed up the trial in this case. We will wait for the judgment and then we will discuss it.

">

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, अभी देश में बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण है, कहीं भी साम्प्रदायिक बातों पर चर्चा नहीं है। लेकिन दो दिनों से, जिस बिन्दू पर अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, सदन में चर्चा करके देश के लोगों में गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों के लिए यह अच्छा नहीं है।

">... (व्यवधान)

">कल से दो-तीन बिन्दुओं पर काफी जोरों से चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि चार्जशीट सबमिट हो गई और चार्ज फ्रेम हो गया। हम विपक्ष के लोगों से यह जानना चाहते हैं कि चार्जशीट और चार्ज फ्रेम में कितना अंतर है? चार्जशीट न्यायालय में जिस बिन्दू पर सबमिट होती है, जब ट्रायल कोर्ट उस केस को खोलने के लिए जाता है तो उसे चार्ज फ्रेम कहा जाता है। वही चार्जशीट चार्ज फ्रेम में बदलती है। जब उसी मामले पर उच्च न्यायालय में आवेदन दे दिया गया, उसे स्वीकार कर लिया गया तो यहाँ का मामला अपने आप स्थगित हो गया। इसलिए उस बिन्दू पर यहाँ आरोप-प्रत्यारोप का सवाल कहां से उठता है।">

">जहाँ तक मौनीटरिंग का सवाल है, भारत सरकार उन बिन्दुओं पर मौनीटरिंग कर रही है जिस पर स्टेटसको मनेटन करना है। लोअर कोर्ट की मौनीटरिंग और सुप्रीम कोर्ट की मौनीटरिंग दोनों दो बिन्दू होंगे। इसलिए गलत आरोप लगाकर सदन में हंगामा किया जा रहा है।

">

">प्रिय रंजन दासमूंशी जी नैतिकता की बात कर रहे थे। हम बताना चाहते हैं कि जब कांग्रेस के लोग नैतिकता की बात करते हैं तो हम शर्म से झुक जाते हैं। कहां थे उस दिन जिस दिन यूरिया घोटाले का मामला आया, कहां थे उस दिन जिस दिन सांसदों को घूस देने का मामला आया, कहां थे उस दिन जिस दिन बोफोर्स घोटाले का

मामला आया, किन-किन लोगों ने इस्तीफा दिया, हम प्रिय रंजन दासमुंशी जी से जानना चाहेंगे? जहां तक विवादस्पद मामले को तोड़ने और नहीं तोड़ने का सवाल आता है, हम यह कहना चाहते हैं कि भगवान राम ने अपने भक्तों को स्वप्न दिखाया था कि हमारे मंदिर को सुंदर बना दो। इसलिए वहां जाकर लोगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया है।

... (व्यवधान)

श्री इंद्रजीत गुप्ता श्री लालू प्रसाद के मामले से जोड़ते हैं। श्री लालू प्रसाद ने उस दिन इस्तीफा दिया था जिस दिन सी.बी.आई. उनको हथकड़ी पहनाने के लिए मुख्य मंत्री के आवास को घेरे हुए थी। इस मामले और उस मामले को एक">

">साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हम मात्र एक अपील करेंगे, हमें ज्यादा भाषण नहीं देना है। इस देश की बहुसंख्यक जनता यह चाहती है कि वह भगवान राम की जन्मस्थली है और वहां मंदिर बनाया जाए। भारत सरकार आज घोषणा कर दे कि वहां मंदिर निर्माण करके बहुसंख्यक जनता की भावना का आदर करेगी।

... (व्यवधान)

">

">श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : प्रमुनाथ जी, आपने मेरा नाम लिया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं वही प्रिय रंजन दासमुंशी हूँ, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जब हम चुनाव में जीतकर आए थे, हमारी पार्टी में नरसिंह राव जी को कहने की हिम्मत थी कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपको त्यागपत्र देना चाहिए और उनका त्यागपत्र आया।

">... (व्यवधान)

">लेकिन आपको मंत्री जी को कहने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आपको निकाल देंगे।

">... (व्यवधान)

">

">

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, नैतिकता और परम्परा का सवाल ज्यादा वही लोग उठाते रहे हैं और उसके अनुकूल व्यवहार भी करते रहे हैं। हवाला घोटाला हुआ था तो संयोग से माननीय आडवाणी जी का नाम उसमें आ गया, खुराना जी का नाम भी आ गया। अभी चार्जशीट भी नहीं हुआ था, हमारे यहां यशवन्त सिन्हा, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम आ गया तो उन लोगों ने बड़ा बयान दिया, देश भर में डिंडोरा पीटा कि हमारी ऊंची नैतिकता और परम्परा है, हम त्याग-पत्र देते हैं। देश के सामने और दुनिया के सामने उन्होंने अपना माथा ऊंचा किया कि हमने त्याग-पत्र दे दिया है, नैतिक और पवित्र कुर्सी पर मैं नहीं रहूंगा, यदि हमारे ऊपर आरोप लग गया।

">

">अभी जो मामला है, उसमें जो मस्जिद तोड़ने के क्रिमिनल आफेंस के एक्ज्यूज्ड हैं, जिनको जनों ने कहा कि ये लोग प्राइमफेसी कसूरवार हैं, उसके बाद त्याग-पत्र देते हैं अथवा नियम परम्परा की ध्वजियां उड़ाते हैं, इस सवाल पर माननीय प्रधान मंत्री जी को अभी जवाब देना है। मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि इतने दिनों से त्याग-पत्र देने के लिए सवाल नहीं उठाया तो आडवाणी जी ने उस समय जब त्याग-पत्र दिया था, बूटा सिंह जी, खुराना जी ने त्याग-पत्र दिया था तो कहां हम लोगों ने सवाल उठाया था? वह तो अपने आप इन लोगों ने त्याग-पत्र दिया था कि ऊंची परम्परा हम कायम करने वाले हैं।

">

">अब हमको माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछना है कि ऊंची परम्परा और नैतिकता पर ये कायम हैं और ये जो तीन लोग चार्जशीटेड आफेंस के एक्ज्यूज्ड हैं, उसके रहते हुए उनसे ये त्याग-पत्र लेते हैं या बर्खास्त करते हैं। यही एक सूत्र में सवाल है, नहीं तो नैतिकता की दुहाई और परम्परा की ये गरदन उड़ाते हैं, यह आज कसौटी पर कसे जाएंगे। मुझे इतना ही कहना है।

">

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Speaker Sir, my Q.No.104 came up for discussion yesterday and certain critical issues emerged from the discussion. These issues were strongly supported by the earlier replies of the Government to an Unstarred Q.No.202 of hon. Member Shri Priya Ranjan Dasmunsi also.

">Sir, it is necessary that we do not deviate and derail the main issue with which we are concerned today. Let us not try to derail the critical issues that have come up by the so-called references to the history of the Babri Masjid or the merits of the case or even by hollow untenable imaginative references to the so-called Muslim communalism reciprocated and strengthened by the Hindu communalism. I condemn this pervert thinking.

">Today, the critical issue is that all parliamentary norms, all parliamentary morality, ethics and propriety have all been flouted. Here we have a bewildering and unacceptable situation that the hon. Minister replies to this House that he is the accused; that the court has ordered that there is a prima facie case against him; that he, the accused, is having a public prosecutor under his own advice and guidance to prosecute him; and that he, the accused, is monitoring the case against himself.

">Sir, what a ridiculous situation? Let not the largest democracy of the world be reduced to this farce and mockery, that is the question that is over there.

">We are being asked, why is this question today. It is because all the judicial processes, unfortunately, have become tardy in their pace and are moving with snail's pace. We have our own apprehensions, Sir, that because of this bewildering situation, where so many Ministers in the Council of Ministers are personally involved and accused, because of such a situation, we have our apprehensions. The cases pertaining to the title deed, the cases in the trial court against the accused, the proceedings of the Liberhan Commission, where even the Ministers are not appearing for their evidence, the cases in the Supreme Court with respect to the contempt of the Supreme Court in which the present Ministers are also involved—all these have come to a standstill. They are not proceeding further. We, therefore, have our apprehensions as to how this Council of Ministers is exercising its function. ...

(Interruptions) We will listen to the Prime Minister telling us as to how the Council of Ministers could function under such a situation

where it has accused among themselves. ... (Interruptions)

">MR. SPEAKER: Nothing should go into the record except Shri Banatwalla"s speech.

">(Interruptions) ... \*

">MR. SPEAKER: Shri Banatwalla, please wind up.

">SHRI G.M. BANATWALLA : Then, Sir, as it is, the entire Sangh Parivar is responsible no doubt but then here we have specific Ministers who are accused. Under such a situation, let the highest parliamentary decency, propriety, morality, and probity be accepted and be taken up. That is our demand, Sir.

">MR. SPEAKER: Now, Shri P.H. Pandiyan. Please take only one minute.

">

---

">\*Not Recorded.

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Speaker, Sir, December 6, 1992 was the black day for the minorities and the dead blow for secularism. ... (Interruptions) Now, I went through the answer to the Unstarred Question to see as to what was it. ... (Interruptions) Sir, is it the way? ... (Interruptions) Mr. Speaker, Sir, please control the House. ... (Interruptions)

">MR. SPEAKER: Nothing should go into the record except Shri Pandiyan"s speech.

">(Interruptions) \*

">SHRI P.H. PANDIYAN : I want to read the answer to the Unstarred Question No. 207. ... (Interruptions)

">MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

">... (Interruptions)

">SHRI P.H. PANDIYAN : Mr. Speaker, Sir, let me be allowed to speak. ... (Interruptions) Mr. Speaker, Sir, the third question, 207 (c)--the names of the persons arrested and granted bail. This is most important. In the enclosed sheet, it has been stated ... (Interruptions) Sir, is it the way? I can react. What are these people thinking? ... (Interruptions)

">I can react. I was the Speaker for four years and I was the Deputy-Speaker for four years. (Interruptions) What is this? (Interruptions) I can react. From tomorrow onwards, the House will not be allowed to go on. I can do it. I can do it from tomorrow onwards. If I make up my mind, the House will not be allowed to go on. Please understand that. If I make up my mind, I will see to it that two of your Ministers will be out of Cabinet. I have spared them. If you cooperate with me, they will be Ministers. Otherwise, tomorrow they will be out of the Cabinet. Mind it, I have charges against them. I have been keeping quiet. Do not incite me.(Interruptions) What is this? I have seen such a House.

">

---

">\*Not Recorded.

">Mr. Speaker, Sir, in column 26, the Home Minister, Shri L.K. Advani"s name is mentioned. He is released on bail and he is sitting here. He can be hauled up by the Magistrate tomorrow. Your writ will not lie there. The House"s writ will not lie there. He is on bail. In column 34, the name of Kumari Uma Bharati is there. She is on bail.

">MR. SPEAKER: Shri Pandiyan, we are not discussing the entire case. You please understand that.

">... (Interruptions)

">SHRI P.H. PANDIYAN : What is this? Now, I must be allowed to speak. I have come here to speak. In column 38, the name of the Human Resource Development Minister, Dr. Murl Manohar Joshi is there. He is also on bail. ... (Interruptions)

">SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): You carry on.

">SHRI P.H. PANDIYAN : If this is the way, I will not allow any Minister to participate. Do you want to know who am I? I can control anything. I have faced so many situations. This is nothing for me. (Interruptions) This is nothing. I had enough experience in Parliament and in Legislature.

">SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You ignore them.

">SHRI P.H. PANDIYAN : Slow motion trial is a fundamental right for the Central Ministers whereas speedy trial is a right for the adversaries, the political opponents. They should have a speedy trial for the political opponents but slow motion trial is a fundamental right for the Government, for the Ministers. Under the Indian Penal Code, wherever the word starts, Lord MacCaulay has said "whoever". It is not Shri Advani or anybody. It starts with the word "whoever". So, in that way, they have been accused of conspiracy under Section 120B. (Interruptions) I will not allow. Tomorrow, your Ministers will go out. I will level charges now.... \*

">Two Ministers are in that Cabinet. I have spared them.

">

">\*Expunged as ordered by the Chair.

">SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): It is against the Cabinet Ministers. Is it going on record? It is a very serious issue.

">SHRI P.H. PANDIYAN : Mind it, tomorrow morning, they will be out of the Cabinet..(Interruptions) Do not irritate me. There are two Ministers. They are Ministers from DMK. (Interruptions) If they keep quiet, I will not haul them. Otherwise, they will be out. One Minister, who is in-charge of Environment, is running a chemical industry. It is Kings Chemicals. Another Minister is your Industries Minister. (Interruptions) No, they have irritated me. Mr. Prime Minister, before obtaining the resignation of these four Ministers, get the resignation of those two Ministers. The other one is Shri Murasoli Maran. ... (Interruptions)

">He is handling a cement industry in Tamil Nadu. My friend, Shri T.M. Selvaganpathi, has spoken in this House saying...(Interruptions). No, now, the matter has taken a different turn. I will not leave it. Mr. Prime Minister, you have in your Cabinet two ...\*

">श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अध्यक्ष जी, विषय क्या है और ये क्या बोल रहे हैं?

">

">श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, आप इनको रोकिये, ये क्या बोल रहे हैं।

">

">श्री. रघुवंश प्रसाद सिंह (बैशाली) :अध्यक्ष जी, यह ठीक बोल रहे हैं, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है।

">

">MR. SPEAKER: Shri Pandiyan, you can speak on the subject.

">... (Interruptions)

">SHRI P.H. PANDIYAN: Then,...(Interruptions) ..\*\*

">MR. SPEAKER: This will not go on record.

">... (Interruptions)

">MR. SPEAKER: Shri Pandiyan, you can speak on the subject, otherwise I will not allow you.

">SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, I must be allowed. Please ask them to keep quiet. (Interruptions).

---

\*Expunged as ordered by the Chair

\*\* Not Recorded.

MR. SPEAKER: This should not go on record.

(Interruptions) ...\*

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, I should be allowed to speak. (Interruptions).

MR. SPEAKER: This should not go on record.

(Interruptions)\*

SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, I am on a point of order. If any Member makes an allegation against any other Member, he should give notice to the hon. Speaker and also to the concerned Member and an opportunity to the Member should be given. He has not followed all these things. It should be removed from the records. (Interruptions).

MR. SPEAKER: This should not go on record.

(Interruptions)\*

MR. SPEAKER: I have called Shri Geete.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except what Shri Geete says.

(Interruptions) \*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : अध्यक्ष जी, वह तो ढांचा था

... (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महारानगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, वह तो मंदिर था, उसका पुनर्निर्माण हो रहा था।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: These words can be expunged from the records.

... (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, I will finish in two minutes. (Interruptions). Four Ministers are facing trial before the special judge and the special judge has framed charges. I do not know whether these four Ministers have appeared before the judge or not...(Interruptions). Is it a way? We have only one speaker not umpteen number of speakers. These four Ministers have taken oath under the Constitution that they will bear true faith and allegiance to the Constitution and they will discharge their duties without fear or favour, affection or ill-will to all manner of people.

\*Not Recorded.

On the demolition of the Babri Masjid where is the oath? Now, they have taken... (Interruptions). If this is videographed, they will not get one vote outside. I am telling you frankly that they cannot get one vote. There must be uniformity in standards in public life. There cannot be equations in treating individual Ministers. (Interruptions).

MR. SPEAKER: Shri Pandiyan, please wind up.

... (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Some Ministers have been asked to resign. Shri R. Muthiah was asked to resign by the hon. Prime Minister; Shri Buta Singh was asked to resign; Shri Lalu Prasad Yadav was asked to resign after he has been chargesheeted; Shri Madan Lal Khurana has been asked to resign.

Now, I appeal to the hon. Prime Minister, through you, Sir, to obtain the resignation of the Minister of Home Affairs, Minister of Human Resource Development, Kumari Uma Bharati, Shri Murasoli Maran and Shri T.R. Baalu.

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI (GARHWAL): He is not supposed to leave immediately after his speech. This is against the protocol. He should be called back. He should not immediately leave the House. (Interruptions).

">

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या की घटना ६ दिसम्बर १९९२ को हुई। आज इस घटना को सात साल हो गए हैं। सात साल के बाद इस सदन में उसी घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या का मामला न्यायालय में लम्बित है। न्यायालय ने जो फैसला करना है, करेगा। जिस अयोध्या में यह घटना हुई, अयोध्या इस बात को मूल गई। केवल अयोध्या ही नहीं सारा देश इस बात को मूल गया।

... (व्यवधान)

इस घटना को लोग भूल गए। ... (व्यवधान) जब अयोध्या की घटना हुई, उस समय नरसिंह राव जी देश के प्रधान मंत्री थे। उस समय कांग्रेस पार्टी का राज था। सी.बी.आई. ने इस मामले की जांच की। यह मामला ५ अक्टूबर १९९३ को दर्ज हुआ। आज इस बात को भी ६ साल हो गए हैं। नरसिंहराव जी पांच साल तक प्रधानमंत्री थे। उस समय किसी ने मांग नहीं की और न ही इस सदन में चर्चा हुई।

... (व्यवधान)

कभी चर्चा नहीं की और न ही कभी मांग की। मैं १९९६ से इस सदन में हूँ। मैं ग्यारहवीं लोक सभा से इस सदन का सदस्य हूँ।

... (व्यवधान)

">

">श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : १९९६ और १९९७ में इस पर चर्चा हुई। आपको मालूम नहीं है।

... (व्यवधान)

">

">श्री अनन्त गंगाराम गीते : मुलायम सिंह जी जब यहाँ बोल रहे थे तो हम उनके दर्द को समझ रहे थे। यदि अयोध्या की घटना नहीं होती तो शायद मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने रहते। हम उनके दर्द से सहमत हैं। हम उनकी भावना को समझ सकते हैं। जब यह घटना हुई तो केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे। वह उसे रोक नहीं सके।

">... (व्यवधान)

">आपका क्या दर्द है? आप आज किस लिए ऐसी मांग कर रहे हैं? १९९६ में ११वीं लोक सभा का चुनाव हुआ। १३ दिन के लिए अटल जी देश के प्रधान मंत्री बने। उस १३ दिन की सरकार में भी मुरली मनोहर जोशी जी मिनिस्टर थे और उमा भारती जी मिनिस्टर थी। फिर १३ महीने की सरकार आई। इस १३ महीने की सरकार में भी आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी और उमा भारती जी मिनिस्टर थे।

">... (व्यवधान)

">आज आप किस लिए मांग कर रहे हैं? जिन लोगों ने घोटाले का यहाँ जिक्र किया, जिस हवाला कांड का जिक्र किया, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अयोध्या का आन्दोलन कोई घोटाला नहीं है, यह कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अयोध्या का आन्दोलन इस देश के करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं का आन्दोलन था। यह कोई घोटाला नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, यह कोई हवाला कांड नहीं है।

">... (व्यवधान)

">

">श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : इसके बाद मुम्बई में जो झगड़े हुए, वह कौन सा आन्दोलन था?

... (व्यवधान)

">

">श्री अनन्त गंगाराम गीते : वह कोई घोटाला नहीं है। वह राजनीति का आन्दोलन है।

... (व्यवधान)

">

">अध्यक्ष जी, वह राजनीतिक आन्दोलन था। कांग्रेस के लोग जो आजादी के बाद ४० साल तक लगातार सत्ता में रहे, उन्हें आन्दोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने आजादी के पूर्व आन्दोलन किया लेकिन उसके बाद नहीं किया। विपक्ष के वे लोग जिन्होंने आजादी के बाद आन्दोलन किया, आज सत्ता में आये हुये हैं। जिस आन्दोलन को छोड़ा, उसे देश की करोड़ों जनता ने समर्थन दिया। उस आन्दोलन के जरिये देश की जनता ने सत्ता में बैठा दिया। जनता ने उस आन्दोलन के जरिये श्री वाजपेयी जी को सत्ता में बैठाया। कल से इस बात को उठाया जा रहा है क्योंकि जब से बोफोर्स में स्व. राजीव गांधी का नाम आया है, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, तब से यह मामला उठाया जा रहा है।

">... (व्यवधान)

">.. मैं मुलायम सिंह जी के दर्द को समझ सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संदर्भ में एक चुटकुला याद आ रहा है

">... (व्यवधान)

">.. यह मामला पिछले दो साल से चला है। मैं उस विषय को जोड़कर बोल रहा हूँ कि पिछले दो दिन से मांग की जा रही है, इसके पहले कभी मांग नहीं की गई थी। अभी दासमुशी जी ने प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा की बात कही है। जब वाजपेयी जी १३ दिन तक प्रधानमंत्री रहे, उस समय उनकी प्रतिष्ठा मालूम नहीं थी। जब इन लोगों ने १३ महीने की सरकार गिरा दी, उस समय उन्हें वाजपेयी जी की प्रतिष्ठा याद नहीं रही और आज प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा की याद आ रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री सोमैया जी प्राइवेट मेंबर बिल लाये कि किसी विदेशी नागरिक को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिये और न कोई उच्च पद पर बैठाया जाना चाहिये। जब वह बिल इस सदन में आया, तब आपको याद आया

">... (व्यवधान)

">..">

">अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

">

">श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। पूरे देश में शान्ति थी लेकिन पिछले दो दिनों से इन लोगों ने अशान्ति पैदा कर रखी है। कल ६ दिसम्बर को अयोध्या में कुछ नहीं हुआ, वे लोग इस बात को भूल गये

... (व्यवधान)

.. धर्म के नाम पर ये लोग देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। मैं एक चुटकुला कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे उन दो दोस्तों की कहानी याद आ रही है।">

">अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

">

">श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, दो मित्र एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अचानक एक मित्र ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया तो दूसरा मित्र बोला कि अचानक यह क्या हो गया कि मुझे थप्पड़ मार दिया। दूसरा मित्र बोला कि पिछले साल तुमने मुझे गधा कहा था, यह बात याद करके मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया।

">

">

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : अध्यक्ष जी, चूंकि बार-बार नाम लिये गए हैं, इसलिए मैं सिर्फ दो तीन वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ, सदन का समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। मैं यहाँ सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि अगर वे मुझे शान्ति से बात कहने देंगे तो समय पर अपनी बात दो-तीन वाक्य बोलकर समाप्त कर दूंगी।

">

">अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि बार-बार यह जो बात कही गई कि आडवाणी जी इस्तीफा दे, जोशी जी इस्तीफा दे, मैं इस्तीफा दूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कुर्सी के लालची हों और कुर्सी से चिपके रहना चाहते हों। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अचानक यह सवाल जो कल से खड़ा किया गया है, यह किस नीयत के साथ खड़ा किया गया है। इसके पीछे पूरी राजनीति है। राजनीति यह है कि पहले अटल जी की सरकार शांति से चल रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। उस समय पर भी इस तरह का माहौल बनाया गया कि अंत में अटल जी की सरकार को चुनाव का सामना करना पड़ा। चुनाव हमारे लिए लाभ में गए और लोगों ने हमें और हमारे सभी सहयोगी दलों को अच्छे बहुमत के साथ सदन में बैठाया। इसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में २१वीं सदी में भारत प्रवेश कर रहा है। परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत को ध्वजा पताका फहरा रही है और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत के पक्ष में माहौल बन रहा है, उससे ऐसा लगता है कि २१वीं सदी में भारत पूरी दुनिया में नंबर एक का देश बनकर देखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ दो दिन से बार-बार अयोध्या का मामला उठाया जा रहा है,

">... (व्यवधान)

">यह मामला आडवाणी जी को, जोशी जी को मंत्री पद से हटाने का नहीं है, यह मामला देश को कमजोर करने की नीयत से उठाया जा रहा है, यह मामला सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी करने का मामला है।">

">अध्यक्ष जी, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ

... (व्यवधान)



आपको स्मरण कराना चाहती हूँ कि मुम्बई में हमारी भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय अधिवेशन हो रहा था। अचानक आडवाणी जी ने वहाँ पर घोषणा की कि हमारी पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री होंगे। जितने एक लाख लोग उस पंडाल में मौजूद थे, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कलयुग में नहीं, बल्कि त्रेतायुग में बैठे हों, जब राम कह रहे हैं कि राजगद्दी भरत को मिलेगी और भरत कह रहे हैं कि राजगद्दी राम को मिलेगी। ऐसा वातावरण हमारे यहाँ पर आडवाणी जी ने निर्मित किया है। आडवाणी जी, जोशी जी और मैं कुर्सी से चिपकने वाले लोग नहीं हैं, सत्ता-लोलुप नहीं हैं।

... (व्यवधान)

लेकिन जब बोफोर्स की जांच आखिरी चरण पर दस्तक दे रही है, उस समय इस मामले को जिस नीयत से उठाया गया है, उस नीयत के जाल में हम फँसने वाले नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। यही मैं

**"त्रिनिबेदन करना चाहती हूँ।"**

... (व्यवधान)

">

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, the Trinamool Congress is a firm believer in the principles of secularism and communal harmony. We also believe in the principle of unity in diversity. I want to raise one basic question which is whether the matter that is being discussed here today is a sub judice matter, and whether any sub judice matter can be raised on the floor of the House or not. I want to hear your ruling on this. While the discussion was going on, Shri Sukh Ram's name has also been raised.

">Sir, I firmly believe that reference to the Babri Masjid issue and the case of Shri Sukh Ram should not be made in the same bracket. Then the impact of the issue would get diluted. The issue of demolition of the Babri Masjid is, no doubt, a very serious issue. We also, as has been mentioned by the leader of the Telugu Desam Party in Parliament, Shri Yerrainaidu, launched protest against the demolition of the Mosque. At that time, we were in the Congress Party. But frankly speaking, when we were in the Congress it was really difficult for us to move around in the muslim dominated areas in different parts of the city of Calcutta in particular and in the State of West Bengal in general.

">Sir, during the Assembly elections of 1996 in the State of West Bengal -- the constituency which I represent, 40 per cent of the population in the area are Urdu speaking Muslims -- the Muslims with folded hands told me that I should not mention the name of the Congress Party but should seek votes for my own sake. This was the situation then. Now, the situation has started to change. What we feel is that we are playing with fire and this issue is very sensitive.

">Sir, the judgement of the special court was delivered on 9.9.97 and the Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee was dissolved on 26.4.99. Shri Basudeb Acharia, a few minutes back, was saying that this issue was discussed at that time also.

">SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I said, it was raised.

">SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : But this issue was not raised so vociferously as it is being raised today. What are the reasons behind it? I would not say that the Private Members' Bill moved by Shri Kirit Somaiah has caused a lot of anger and fury in the minds of the Members of the Opposition. But we would certainly say that justice delayed is justice denied. So, we would like the case to be expedited. Shri Advani has told that he would make efforts to see that this matter is concluded very quickly ... (Interruptions) I would not like to say anything on matters like whether Shri Advani would continue as the Home Minister or not; or whether he would be in charge of that Department or not. Those aspects would be replied to by him or by the hon. Prime Minister. All that I would like to say is that this is a sensitive matter and we should not utter anything or behave in a manner which might cause anger and make the situation more worse.

">Sir, I would also like to say that even in the last Elections the Congress Party did not raise this issue of Babri Masjid so vociferously as they are doing it now. The reason is not known to us. These issues get priority only when the leaders of the Party move without any direction. I would like to appeal to the hon. Prime Minister to see that this case is concluded at the earliest and all the political parties should abide by the judgement of the Supreme Court. I hope that this Babri Masjid issue is concluded as soon as possible.

THE PRIME MINISTER (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): Mr. Speaker, Sir, pending Ayodhya cases can be classified into two categories.

">The first category is of cases relating to the title dispute. There are five such cases, two of which have remained pending since over 49 years.

">The second category is of the case arising out of the happenings of December 6, 1992. In this case, charge-sheets have been filed by the CBI against over fifty persons. This case is pending before the Special Additional Sessions Judge (Ayodhya Prakaran) since 5th October, 1993.

">I would like to affirm that ever since I have assumed office in March, 1998, neither I nor my Government has ever interfered in this case, even though the investigating agency, namely, the CBI is directly under me. As has already been indicated in another context, Government holds that interference in a pending prosecution is impermissible in law.

">Neither the Constitution nor the law disqualifies a Minister from holding office merely because a charge-sheet is filed by the police or formal charges are framed by the court.

">The question as to who should be in the Council of Ministers is one of Prime Ministerial discretion, and sense of political propriety. Many circumstances are relevant to the final decision of the Prime Minister on these issues.

">In view of the fact that no change in the position of court cases has taken place ever since the Ministers concerned were inducted into office in March, 1998, and no allegation of corruption or misuse of office is involved, the demand that the Ministers quit office or that they be barred from replying to certain questions is untenable.

">However, the cases will be allowed to proceed without any interference from the Government here or at the State level.

">I urge this House to await the judicial verdict.

">... (Interruptions)

"> \_\_\_\_\_

">... (Interruptions)

">MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 11 a.m. tomorrow the 8th December, 1999.

">18.58 hrs

">The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

">Wednesday, December, 8, 1999/Agrahayana 17, 1921 (Saka)

"> \_\_\_\_\_